न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 58 / 2024

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
1. सीमादेवी पुत्री स्व0 नेमीचंद उर्फ नेमाराम जाति मेवाड़ा कलाल निवासी बेरा पिपलिया ग्राम रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे, श्री मुकेश भाटी, श्री तरूण मेवाड़ा अधिवक्तागण वादीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक :— 05/06/2025

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद. मौजा ग्राम रामासनी बालां प0ह0 रामासनी बालां, भू0अ0नि0 खारिया नींव तह0 सोजत में वादीया की पैतृक संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0 175 के ख0नं0 625 रकबा 0.9400 है0 में वादीया का 1 / 18 हिस्सा खातेदारी का, इसी प्रकार खाता सं0 254 के ख0नं0 1003, 1004, 1131, 1132, 1149 से 1161, 1163, 986, 987, 996, 997 कुल खसरा 22 कुल रकबा 10.0100 है0 में वादीया का 1 / 16 हिस्सा खातेदारी हक का हैं। इसी प्रकार खाता सं0 177 के ख0नं0 587 रकबा 0.4600 है0 में वादीया का 1 / 24 हिस्सा खातेदारी हक का हैं, इसी प्रकार खाता सं0 176 के ख0नं0 629 रकबा 1.2500 है0 में वादीया का 1 / 12 हिस्सा खातेदारी हक का हैं, इसी प्रकार खाता सं0 461 के ख0नं0 701, 702, 703 कुल खसरा 03 कुल रकबा 28.1900 है0 में वादीया का 1 / 96 हिस्सा खातेदारी हक का हैं। उक्त वर्णित तमाम कृषि भूमियां वादीया की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है, .जो वादीया को उसके पिता नेमीचंद उर्फ नेमाराम से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीया के पिता स्वर्गीय नेमीचंद उर्फ नेमाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वादीया सीमा देवी का राजस्व कर्मचारियो ने बिना वादीया के वैध दस्तावेजो की जांच किये सीमादेवी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में पारस अंकित कर दिया। वादीया को घर परिवार व गांव में बचपन का नाम पारस नाम से ही जानते है, लेकिन वादीया के तमाम दस्तावेज वोटर आई डी कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं स्कूल के तमाम मार्कशीट में वादीया का नाम सीमादेवी ही अंकित है। सीमादेवी व पारस दोनो एक ही व्यक्ति है। ग्राम रामासनी बाला में उपरोक्त नाम का अन्य कोई भी काश्तकार निवास नहीं करता है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में पारस अंकित होने के कारण एवं वादीया के तमाम दस्तावेजो में उसका नाम सीमादेवी अंकित होने के कारण उसे किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिये वादीया इस बात की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है कि पद संख्या 1 में वर्णित तमाम कृषि भूमियो के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा पेन ऑफ मिस्टेक से सीमा देवी के स्थान पर पारस अंकित हुआ है, जिसे पुनः दुरूस्त करते हुए राजस्व रेकर्ड में संशोधन करते हुए पारस के स्थान

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

पर सीमा देवी अंकित किये जाने एवं वादीया को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बालां में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 04 का जवाब वादी स्वयं साबित करना, पैरा सं0 05 से 08 का जवाब कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत के पत्रांक/रीडर/2025/548 दिनांक 15.04.2025 के जरिये निवेदन किया कि वादरथ भूमि के राजस्व रेकर्ड में पारस पुत्री नेमाराम मय सह खातेदार हिस्सा काश्त दर्ज हैं। जबकि मौके पर सीमी देवी पुत्री नेमीचंद उर्फ नेमाराम जाति मेवाड़ा कलाल हिस्सा काश्त कर रही हैं तथा पारस पुत्री नेमाराम व सीमादेवी पुत्री नेमाराम/नेमीचंद एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम हैं की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार वादीया का नाम पारस के स्थान पर सीमादेवी की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रामासनी बालां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पारस तथा सीमा देवी दोनो एक ही व्यक्ति होने की संपुष्टि होती हैं। वादीया के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड सं0 5985 9191 4827, मतदाता पहचान सं0 ALR/0797761, परिवार राशन कार्ड सं0 200003183972, पैन कार्ड सं0 JVDPD1942R, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में सीमा देवी दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादीया का वास्तविक व सही नाम पारस नहीं होकर सीमा देवी होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम पारस पुत्री नेमाराम के स्थान पर सीमा देवी पुत्री नेमाराम उर्फ नेमीचंद को खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रामासनी बालां प0ह0 रामासनी बालां, भू0अ0नि0 खारिया नींव तह0 सोजत में कृषि भूमि खाता सं0 175 के ख0नं0 625 रकबा 0.9400 है0, इसी प्रकार खाता सं0 254 के ख0नं0 1003, 1004, 1131, 1132, 1149 से 1161, 1163, 986, 987, 996, 997 कुल खसरा 22 कुल रकबा 10.0100 है0, इसी प्रकार खाता सं0 177 के ख0नं0 587 रकबा 0.4600 है0, इसी प्रकार खाता सं0 176 के ख0नं0 629 रकबा 1.2500 है0, इसी प्रकार खाता सं0 461 के ख0नं0 701, 702, 703 कुल खसरा 03 कुल रकबा 28.1900 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम पारस पुत्री नेमाराम के स्थान पर वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सीमा देवी पुत्री नेमाराम उर्फ नेमीचंद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)